भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4556

उत्तर देने की तारीख 27.03.2025

कुटीर और लघु उद्योग

4556. श्री वीरेन्द्र सिंह:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कुटीर और लघु उद्योगों की स्थापना हेतु रियायतें अथवा सहायता प्रदान करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त प्रयोजनार्थ बैंकों द्वारा संवितरित राशि पर ब्याज दर कितनी है और ब्याज दर पर दी गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक ऋण-संबंद्ध सब्सिडी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से परंपरागत कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार के अवसर सृजित करना है। स्कीम के अंतर्गत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर जैसे विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों के लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। विशेष श्रेणी के लाभार्थियों का स्वयं का अंशदान 05% तथा सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों का स्वयं का अंशदान 10% है।

पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत, उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक सामान्य श्रेणी के लाभार्थी के मामले में परियोजना लागत का 90% ऋण के रूप में स्वीकृत करता है, तथा विशेष श्रेणी के लाभार्थी के मामले में 95% ऋण स्वीकृत करता है। विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत 50 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये है। इस स्कीम के अंतर्गत बैंकों द्वारा सब्सिडी राशि और स्वयं के अंशदान को छोड़कर स्वीकृत ऋण राशि पर ब्याज दर प्रभारित की जाती है। विगत तीन वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-2022 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक पीएमईजीपी के अंतर्गत संवितरित मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी और सहायता-प्राप्त इकाइयों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है: -

वित्तीय वर्ष	संवितरित एमएम सब्सिडी (करोड़ रु.)	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.
2021-22	2977.66	1,03,219
2022-23	2722.17	85,167
2023-24	3093.87	89,118

*****